



कार्यालय पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन, कमिश्नरट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-03.02.2025

विषय:-थाना बड़ागांव पुलिस ने नशीले पदार्थों के साथ 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, 393 ग्राम डोडा और डोडा चूर्ण बरामद ।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त कमिश्नरट वाराणसी के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम, गिरफ्तारी व अवैध नशीले पदार्थ के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन व अपर पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन के पर्यवेक्षण में तथा सहायक पुलिस आयुक्त पिण्डरा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.02.2025 को थाना बड़ागांव पुलिस द्वारा रात्रि गश्त के दौरान कविरामपुर गोसाईपुर मोड़ के पास से नशीले पदार्थ के साथ अभियुक्तगण शुभम केशरी पुत्र सुरेश केशरी, निवासी बड़ागांव, थाना बड़ागांव, वाराणसी व शिवम केशरी, पुत्र सुरेश केशरी, निवासी बड़ागांव, थाना बड़ागांव, वाराणसी को गिरफ्तार कर कब्जे से अवैध 393 ग्राम डोडा व डोडा चूर्ण बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बड़ागांव पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पूछताछ विवरण-पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण ने बताया कि वे नशे का सेवन करते हैं और नशा करने वाले व्यक्तियों को नशीले पदार्थों का बिक्री करते हैं। आज हम लोग इस डोडा पावडर को बेचने जा रहे थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. शुभम केशरी पुत्र सुरेश केशरी, नि. बड़ागांव, थाना बड़ागांव, कमि0 वाराणसी उम्र करीब 22 वर्ष ।
2. शिवम केशरी पुत्र सुरेश केशरी, नि. बड़ागांव, थाना बड़ागांव, कमि0 वाराणसी उम्र करीब 25 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण- 393 अवैध डोडा व डोडा चूर्ण ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 005/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(4)/ 317(5)/338/336(3)/340(2) बीएनएस ।
2. मु0अ0सं0 006/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(4)/317(5)/338/336(3)/340(2) बीएनएस ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्र0नि0 अतुल कुमार सिंह, थाना बड़ागांव, कमिश्नरेट वाराणसी ।
2. उ0नि0 मयंक सिंह थाना बड़ागांव, जनपद वाराणसी कमिश्नरेट ।
3. उ0नि0 अमित पाण्डेय थाना बड़ागांव, जनपद वाराणसी कमिश्नरेट ।
4. हे0का0 मो0 ईसरईल थाना बड़ागांव, जनपद वाराणसी कमिश्नरेट ।
5. का0 लोकेश कुमार थाना बड़ागांव, जनपद वाराणसी कमिश्नरेट ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, गोमती ज़ोन
कमिश्नरेट वाराणसी